इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 12 अंक संख्या: 8 मार्च, 2020 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------5
विनियामकों के कथन ----------6
नयी नियुक्तियाँ ----------8
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------8
विदेशी मुद्रा ----------8
शब्दावली----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------12
बाजार की खबरें ----------13

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की छठी मासिक बैठक 2019-20 की मुख्य विशेषताएँ

- नीतिगत दर 5.15% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- 1 अप्रैल से बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को ऋणों का मूल्य-निर्धारण एक बाह्य बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा।
- जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को प्रदत्त ऋणों की पुनरसंरचना का समय वर्तमान में मार्च, 2020 से बढ़ाकर दिसंबर, 2020 किया गया।
- भुगतानों के डिजिटाइजेशन के ग्राफ का पता लगाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक जुलाई, 2020 से एक सम्मिश्र ''डिजिटल भुगतान सूचकांक'' (DPI) प्रकाशित करेगा।
- डिजिटल भुगतानों के स्व-विनियामक संगठन (SRO) की रूपरेखा जारी की जाएगी।
- अखिल भारतीय (Pan India) चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) सितंबर, 2020 से प्रचालित होगी।
- वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा के मामले में प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे कारणों से विलंबित परियोजना ऋणों के वाणिज्यिक परिचालन की प्रारम्भ तिथि (DCCO) में एक वर्ष के विस्तार की अनुमति।

खुदरा ऋणों के मामले में बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा में 5 वर्ष की राहत

भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन उत्पादक क्षेत्रों, यथा- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), आवास एवं वाहन क्षेत्रों को 31 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के बीच दिये गए ऋणों की समतुल्य रकम के लिए उनकी जमाराशियों पर पाँच वर्ष के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) बनाए रखने से छूट दे दी है। इस मुहिम का उद्देश्य संवृद्धि के आवेगों को बढ़ाने हेतु गुणक प्रभाव लाना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों के मामले में एकबारगी पुनरसंरचना योजना 31 दिसंबर तक विस्तारित

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति वर्गीकरण में किसी गिरावट के बिना जिन जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने 1 जनवरी को चूक कर रखी थी, के मानक खातों को मिलने वाले एकबारगी पुनरसंरचना वाले लाभ को 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया है। इस कार्रवाई से उन पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें (सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जो उसके बाद दबावग्रस्त हो गए थे, को 1 जनवरी, 2019 को जारी) पूर्ववर्ती परिपत्र के प्रावधानों के अधीन पुनरसंरचित नहीं किया जा सका था।

आनलाइन लेनदेनों में उछाल के फलस्वरूप डिजिटल भुगतानों का नया सूचकांक

डिजिटल भुगतानों की लोकप्रियता में प्रति दिन वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त क्षेत्र के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) तथा एक स्व-विनियामक संगठन (SRO) की स्थापना की योजना सहित महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है।

उक्त डिजिटल भुगतान सूचकांक, जो जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, में भुगतानों के स्तर का पता लगाया जाएगा। उसके पहले भारतीय रिजर्व बैंक सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और मूल्य-निर्धारण के संबंध में उत्तम प्रथाएँ लागू करने में सहायता करने के लिए एक

स्व-विनियामक संगठन स्थापित करने के लिए अप्रैल, 2020 तक एक रूपरेखा निर्धारित करना चाहता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त स्थावर सम्पदा विकासकर्ताओं के लिए मानदंडों को आसान बनाया

ऋणदाताओं और स्थावर संपदा विकासकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे कारणों से विलंबित परियोजना ऋणों के मामले में वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (DCCO) के प्रारम्भ को एक वर्षीय विस्तार की अनुमति दे दी है। इस निर्णय से उक्त क्षेत्र को पर्याप्त राहत मिलेगी, क्योंकि चुकौती कार्यक्रम वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के प्रारम्भ से जुड़े होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत पुनर्खरीद दर पर दीर्घावधिक पुनर्खरीद परिचालन करेगा

अपनी अद्यतन मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि वह कुल 1 लाख करोड़ रुपए तक के उपयुक्त आकारों वाले एक वर्ष और तीन वर्ष के परिपक्वता काल वाली मीयादी पुनर्खरीदों (repo) का नीतिगत पुनर्खरीद दर पर संचालन करेगा। तदनुसार, बैंक एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष के परिपक्वता काल की धनराशि ठीक उस नीतिगत पुनर्खरीद दर पर उधार ले सकते हैं जो वर्तमान में 5.15% है। भारतीय रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर स्थिर दर वाली पुनर्खरीद तथा प्रत्येक पखवाड़े में संचालित की जाने वाली चार 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दरें भी वापस ले रहा है। इस उपाय से अंतर्निहित एवं उभरती बाजार की स्थितियों द्वारा यथा आवश्यक ऐसी चलनिधि की उपयुक्त्त व्यवस्था/ का अवशोषण सुनिश्चित होगा- जो मात्रात्मक उच्चतम सीमाओं द्वारा अप्रतिबंधित नीतिगत दर पर या उसके आसपास होगी।

मझोले उद्यमों के लिए अस्थिर दर वाले ऋण एक बाह्य बेंचमार्क से जुड़े होंगे : भारतीय रिजर्व बैंक

मौद्रिक नीति प्रेषण को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने मझोले उद्यमों को (बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से प्रदान किए गए) अस्थिर दर वाले सभी नए

ऋणों को एक बाह्य बेंचमार्क से सम्बद्ध करना अनिवार्य कर दिया है। बैंक उक्त ऋणों को चार बाह्य बेंचमार्कों यथा - भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पुनर्खरीद दर; भारत सरकार के तीन माह वाले खजाना बिल प्रतिफल; छः माह वाले खजाना बिल प्रतिफल और फाइनैन्सियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किसी अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर में से किसी भी एक से संबद्ध कर सकते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

डीआईसीजीसी ने जमाकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्णत: स्वाधिकृत एक सहायक कंपनी निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) ने 4 फरवरी, 2020 से बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा की सीमा प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। भारत सरकार के अनुमोदन के साथ उक्त वृद्धि का उद्देश्य बैंकों में जमाकर्ताओं को संरक्षण के अधिकाधिक उपाय उपलब्ध कराना है। इस योजना में सभी प्रकार के खातों -बचत, चालू और सावधि जमाराशियों का समावेश है।

भारतीय रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष सरकार के राजकोषीय वर्ष के अनुसार होगा

हाल ही की बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 2020-2021 से अपने वित्तीय लेखांकन वर्ष को केंद्रीय सरकार के लेखांकन वर्ष से संरेखित करेगा। इस मुहिम के फलस्वरूप केंद्रीय बैंक सरकार को अन्तरिम लाभांश का भुगतान करना बंद कर देगा। बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय वर्ष (वर्तमान में जुलाई-जून) को वर्ष 2020-21 से सरकार के राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संरेखित करने की सिफ़ारिश की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष जून, 2020 में समाप्त होगा, जबकि 1 जुलाई, 2020 से आरंभ होने वाला आगामी वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2021 को समाप्त होगा। इसप्रकार, शीर्ष बैंक नौ माह (जुलाई, 2020 से मार्च 2021 तक) की अवधि के लिए एक संक्षिप्त (truncated) तुलनपत्र तैयार करेगा। आगामी वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होगा।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक की बढ़ी विनियामक भूमिका कदाचार को नियंत्रित करेगी, वित्तीय प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाएगी -राष्ट्रपति कोविन्द

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक भूमिका से बैंकिंग परिचालनों में अधिकाधिक स्थिरता आई है। उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया है कि शीर्ष बैंक की बढ़ी भूमिका कदाचार को नियंत्रित करेगी तथा वित्तीय प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाएगी। राष्ट्रपति का कहना है कि "भारत बिश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है तथा बैंक राष्ट्र की वृद्धि गाथा के एक स्थिर अंग बन गए हैं। चूंकि भारत का ध्येय 5 ट्रिलियन डालर वाली अर्थव्यवस्था बनना है, बैंकिंग क्षेत्र को अगली बड़ी छलांग लगाने हेतु तैयार रहना होगा। इसमें मुख्यत: "बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के साथ बैंकिंग" एवं "असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना" शामिल है।"

दो महीनों में नीति प्रेषण में 20 आधार अंकों की वृद्धि : दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति प्रेषण में निरंतर वृद्धि हो रही है और उसमें और भी वृद्धि होने की आशा है। भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत निर्णयों की पृष्ठभूमि में खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे और उसकी प्रभावशीलता की समीक्षा कर रहा है। वह हितधारकों एवं सरकार के साथ जून, 2020 में परामर्श भी करने वाला है।

भारतीय रिजर्व बैंक तीव्रतर परोक्ष निगरानी पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है : दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि शीर्ष बैंक अपने स्थल पर पर्यवेक्षण में सहायता करने हेतु अपेक्षाकृत तीव्र और प्रगामी परोक्ष निगरानी पर ध्यान केन्द्रित रख रहा है। वेब पर आधारित एक अंतरापृष्ठ की व्यवस्था करने, निरीक्षण आयोजना प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने तथा साइबर घटना रिपोर्टिंग एवं

सीवन-रहित डाटा संग्रहण के जरिये पर्यवेक्षित संस्थाओं/कंपनियों के लंबित अनुपालनों की पारदर्शी एवं कुशल निगरानी को सुगम बनाने के लिए एकीकृत अनुपालन प्रबंधन तथा अन्वेषण प्रणाली के एक भाग के रूप में एक पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (sup-tech) संबंधी पहलकदमी कार्यान्वित की जा रही है।

विनियामक अपने पर्यवेक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के साधनों एवं प्रौद्योगिकी को अभिनियोजित करने पर विचार कर रहा है। क्षेत्र में उभरने वाले जोखिमों और होने वाली घटनाओं की सुस्पष्ट समझ रखने हेतु पर्यवेक्षण के चार स्तंभों - स्थल पर निरीक्षण, परोक्ष निगरानी, बाजार-आसूचना तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों के अतिरिक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों, साख सूचना निर्धारण एजेंसियों, ऋण सूचना कंपनियों, पारस्परिक निधियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति बड़े एक्सपोजर वाले बैंकों सहित सभी हितधारकों के साथ आवधिक संवाद के रूप में पांचवें स्तम्भ की स्थापना की गई है।

श्री दास के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के माध्यम से बढ़े समाधानों के बाद आस्ति गुणवत्ता में हुये सुधारों की पृष्ठभूमि में धीरे-धीरे कायापलट हो रहा है। ह्रासित (impaired) आस्तियों में हाल की गिरावट तथा प्रावधानीकरण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता भंगुर बनी हुई है तथा उसे दूरसंचार के क्षेत्र में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। विनियामकों को नवोन्मेष को बढ़ावा देने और एक समायोज्य एवं सानुपातिक पर्यवेक्षी एवं विनियामक ढांचा लागू करने के बीच संतुलन लाने पर ध्यान केन्द्रित रखना होगा। उनका कहना है कि "चूँकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र उच्चतर कक्ष में आगे बढ़ाने हेतु तत्पर है बैंकों को अपनी कारोबारी रणनीति को नया रूप देते हुये, ग्राहक-केन्द्रित उत्पाद तैयार करते हुये तथा उनकी सेवाओं में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित रखते हुये बदले हुये आर्थिक वातावरण में प्रासंगिक बने रहने हेतु गंभीर प्रयास करने होंगे।"

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पद/संगठन

एल. वी. प्रभाकर	केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
एचडीएफसी बैंक	इंडिगो	एक यात्री क्रेडिट कार्ड और पुरस्कार कार्यक्रम की शुरूआत करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	21 फरवरी, 2020 के दिन बिलियन रुपए	21 फरवरी, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3410238	476122
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3161973	441458
(ख) सोना	212456	29662
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10216	1,426
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	25593	3575

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.15400	1.01200	0.98300	0.97300	1.01000
जीबीपी	0.56670	0.5732	0.5588	0.5583	0.5680

यूरो	-0.39630	-0.423	-0.402	-0.397	-0.370
जापानी येन	-0.08000	-0.123	-0.128	-0.160	0.161
कनाडाई डालर	1.94000	1.503	1.405	1.397	1.394
आस्ट्रेलियाई डालर	0.55050	0.511	0.501	0.613	0.659
स्विस फ्रैंक	-0.74250	-0.813	-0.812	-0.791	-0.759
डैनिश क्रोन	-0.30280	-0.2854	-0.2752	-0.2537	-0.2290
न्यूजीलैंड डालर	0.87500	0.913	0.915	0.935	0.970
स्वीडिश क्रोन	0.10100	0.085	0.085	0.092	0.110
सिंगापुर डालर	1.14000	1.075	1.080	1.095	1.110
हांगकांग डालर	1.55000	1.385	1.340	1.320	1.310
म्यामार	2.78000	2.700	2.710	2.720	2.730

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS)

चेक ट्रंकेशन प्रणाली अदाकर्ता बैंक की शाखा को समाशोधन गृह के माध्यम से एमआईसीआर पट्टी पर आंकड़े, प्रस्तुतीकरण की तिथि, प्रस्तुतकर्ता बैंक आदि जैसी प्रासंगिक सूचना के साथ किसी चेक की इलेक्ट्रानिक छवि प्रेषित करने की प्रक्रिया होती है। इससे सभी बैंक शाखाओं को भौतिक लिखत भेजे जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

अंतरपणन

अंतरपणन उन व्यापारियों को उपचित होने वाला लाभ है जो विभिन्न बाज़ारों में साथ-साथ लेनदेन करते हैं, इस प्रकार बाजार की अपूर्णता के कारण लाभ कमाते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण अथवा प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम	11 मार्च से 13 मार्च, 2020 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	17 से 19 मार्च, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	11 मार्च से 13 मार्च, 2020 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	16 से 18 मार्च, 2020 तक	दिल्ली

संस्थान समाचार

हीरक जयंती शोध प्रस्ताव हेतु आमंत्रण

संस्थान वर्ष 2019-20 के लिए हीरक जयंती और सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF**) शोध प्रस्ताव आमत्रित करता है। विवरण के लिए** www.iibf.org.in **देखें।**

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance**) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।**

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

"बैंक क्वेस्ट" के जनवरी -मार्च, 2020 अंक के लिए विषय-वस्तु है :

- **आल्टरनेटिव चैनेल्स आफ इन्वेस्टमेंट्स- सब-थीम्स : म्यूचुअल फंडस, पोस्ट आफिस एंड बैंक डिपोजिट्स एंड अदर्स**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी,, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा
जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 दिसंबर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के न्यूजलेटर के स्वामित्व के संबंध में विवरण तथा आईआईबीएफ विजन के अन्य विवरण

1. प्रकाशन स्थल : मुंबई
2. प्रकशन की आवधिकता : मासिक
3. प्रकाशक का नाम : डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
   कोहिनूर सिटी, कामर्शियल II, टावर I,
   किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई -400 070
4. संपादक का नाम : डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
   कोहिनूर सिटी, कमर्शियल II, टावर I,
   किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई -400 070

5. प्रिंटिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलबा,
मुंबई -400 0005
6. स्वामियों का नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कमर्शियल II, टावर I,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई -400 070

मैं, डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य हैं।

1-03-2020 डा. जे. एन. मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

5.4
5.3
5.2
5.1
5
4.9
4.8
4.7

सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, फरवरी, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

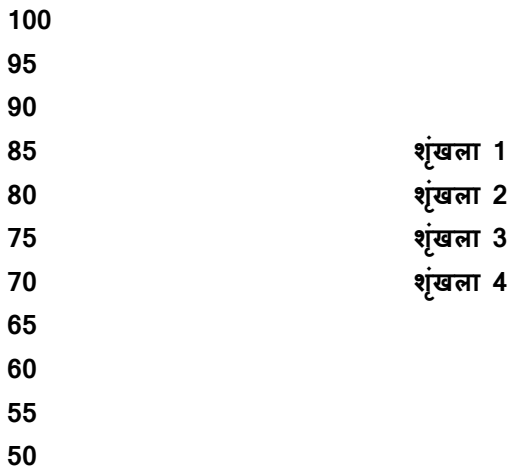

स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

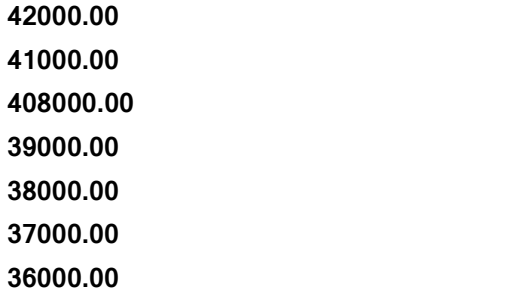

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2020

समग्र जमा वृद्धि %

12
11.5
10
10.5
9.5
9
अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2020

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.